

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दि०-03.09.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त गुलाब सिंह पुत्र स्व० देवेन्द्र सिंह निवासी नगला किसानन बड़पुर कोतवाली फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं० - 189/2016 एस०टी० नं० 39/2016 संख्या धारा 21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट कोतवाली फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहम्मरि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **माननीय न्यायालय एन०डी०पी०एस० एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त गुलाब सिंह उपरोक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री शीलरतन आनन्द



एडीजीसी -श्री दिनेश सिंह चौहान



को० मो० हे०का० नीरज कुमार



पैरोकार का० पंकज कुमार यादव